

परिपत्रक

विषय : सन २०१४-१५ साठी विविध केंद्र/ राज्य पुरस्कृत योजनांतर्गत पुरवठा करावयाच्या जिप्समचे दर निश्चिती बाबत.

संदर्भ : मा. कृषि संचालक (निवगुनि) यांचे अध्यक्षतेखाली दिनांक : ३१ मे २०१४ रोजी आयोजित निविष्ठा विक्रीदर निश्चिती समितीची सभा.

सन २०१४-१५ करिता विविध केंद्र/ राज्य पुरस्कृत योजनांतर्गत पुरवठा करावयाच्या जिप्समच्या विक्री दराने वरील संदर्भात नमूद केलेल्या मा. कृषि संचालक (निवगुनि) यांचे अध्यक्षतेखाली झालेल्या सभेत मान्यता देण्यात आलेली आहे. जिप्समची खरेदी ही महाराष्ट्र कृषि उद्योग विकास महामंडळ मर्यादित (एमएआयडीसी), मुंबई यांचेकडून खालील दिलेल्या दरानुसार करावयाची आहे. सदरचे विक्री दर हे सर्व करासहित वाहतुक करून तालुकास्तरपर्यंत पोहोच तत्वावर अंतीम करण्यात आलेले आहेत.

(दर रु. प्रति मॅ.टन)


| अ.क्र. | जिल्हा | सन २०१४-१५ करिता जिप्समचे वाहतुक व सर्व करासहित मंजूर दर | | | अ.क्र. | जिल्हा | सन २०१४-१५ करिता जिप्समचे वाहतुक व सर्व करासहित मंजूर दर | | |
|--------|------------|--|-------------|------------|--------|------------|--|-------------|------------|
| | | मुळ किंमत | वाहतुक खर्च | एकूण किंमत | | | मुळ किंमत | वाहतुक खर्च | एकूण किंमत |
| १ | ठाणे | ११५० | ६२५० | ७४०० | १८ | लातूर | ११५० | ६३१० | ७४६० |
| २ | रायगड | ११५० | ६७५० | ७९०० | १९ | उस्मानाबाद | ११५० | ६३१० | ७४६० |
| ३ | रत्नागिरी | ११५० | ७२५० | ८४०० | २० | नांदेड | ११५० | ६३१० | ७४६० |
| ४ | सिंधुदुर्ग | ११५० | ७२५० | ८४०० | २१ | परभणी | ११५० | ६३१० | ७४६० |
| ५ | नाशिक | ११५० | ४६३० | ५७८० | २२ | हिंगोली | ११५० | ६३१० | ७४६० |
| ६ | धुळे | ११५० | ४६३० | ५७८० | २३ | बुलढाणा | ११५० | ५५७५ | ६७२५ |
| ७ | नंदुरबार | ११५० | ४६३० | ५७८० | २४ | अकोला | ११५० | ५९९५ | ७१४५ |
| ८ | जळगांव | ११५० | ४७३५ | ५८८५ | २५ | वाशिम | ११५० | ५९९५ | ७१४५ |
| ९ | अहमदनगर | ११५० | ५७८५ | ६९३५ | २६ | अमरावती | ११५० | ६१०० | ७२५० |
| १० | पुणे | ११५० | ६१०० | ७२५० | २७ | यवतमाळ | ११५० | ६१०० | ७२५० |
| ११ | सोलापूर | ११५० | ६३१० | ७४६० | २८ | वर्धा | ११५० | ६१२६ | ७२७६ |
| १२ | सातारा | ११५० | ६२०५ | ७३५५ | २९ | नागपूर | ११५० | ६२०५ | ७३५५ |
| १३ | सांगली | ११५० | ६३१० | ७४६० | ३० | भंडारा | ११५० | ६८३५ | ७९८५ |
| १४ | कोल्हापूर | ११५० | ६३१० | ७४६० | ३१ | गोंदिया | ११५० | ६८३५ | ७९८५ |
| १५ | औरंगाबाद | ११५० | ५५७५ | ६७२५ | ३२ | चंद्रपूर | ११५० | ६८३५ | ७९८५ |
| १६ | जालना | ११५० | ५७८५ | ६९३५ | ३३ | गडचिरोली | ११५० | ७०४५ | ८१९५ |
| १७ | बीड | ११५० | ५९९५ | ७१४५ | | | | | |

कृषि विभागाच्या विविध योजनांतर्गत जिप्सम पुरवठ्यासाठी कृषि आयुक्तालयातील योजना राबविणाऱ्या संबंधित कक्ष/ विभागाने त्यांच्या स्तरावरून योजना व त्यातील घटक राबविण्याबाबत सविस्तर मार्गदर्शक सुचना निर्गमित कराव्यात.

योजनांतर्गत जिल्हानिहाय खरेदी करावयाच्या जिप्समची मागणी, पोहोच करण्याची ठिकाणे, संपर्क अधिकारी/ कर्मचारी व इतर अनुषंगीक माहिती कृषि आयुक्तालयातील योजना राबविणाऱ्या संबंधित कक्ष/ विभागाने त्यांचे स्तरावरून महाराष्ट्र कृषि उद्योग विकास महामंडळ मर्यादित, मुंबई यांना उपलब्ध करून द्यावी.

जिप्समचा पुरवठा करतांना खालील प्रमाणे दक्षता घेणेत यावी.

- १) जिप्सम हे सॉइल ॲप्लिकेशनसाठी असून त्याच्या वापराबाबत सर्व संबंधितांना आवश्यक तांत्रिक माहिती देण्याची संपूर्ण दक्षता पुरवठ्याचे आदेश देणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी घ्यावी. पुरवठा स्वीकारताना दिलेल्या आदेशाप्रमाणे जिप्समच्या उगम प्रमाणपत्राची व खरेदी देयकाची मागणी करावी. पुरवठा करावयाचे जिप्सम हे भारतीय मानक IS : ६०४६ - १९८२ प्रमाणे असणे आवश्यक आहे, याची पुरवठा करणाऱ्या यंत्रणांनी खात्री करूनच पुरवठा करावा.
- २) तालुका स्तरावर विविध योजनांतर्गत जिप्समचा पुरवठा करण्यांत आलेनंतर तेथील खतनिरीक्षकांनी प्रत्यक्ष झालेल्या पुरवठा साठ्यातून जिप्समचे नमुने काढावेत व शासकीय मृद चाचणी प्रयोगशाळेत तपासणीसाठी पाठवावेत.
- ३) तपासणीसाठीची फी खत उत्पादकांनी /पुरवठादारांनी अदा करावी.
- ४) जिप्समची तपासणी संबंधित मृद चाचणी प्रयोगशाळांनी जिप्सम विश्लेषण करताना भारतीय मानक IS : ६०४६ - १९८२ मध्ये दिलेल्या विश्लेषण पद्धतीनुसार विश्लेषण करून तसा अहवाल संबंधितांना द्यावा.
- ५) नमुना विश्लेषणानंतर भारतीय मानक IS : ६०४६ - १९८२ नुसार आढळून न आल्यास तालुकास्तरावर पुरवठा झालेल्या साठ्याची देयके अदा करू नयेत.


कृषि संचालक (निवगुनि)
कृषि आयुक्तालय, म. रा. पुणे-१

जा.क्र.राखते/गुनि-३-४/फॉ.जि.दर/१७५/१४
कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य,
पुणे-४११ ००१, दिनांक : ४ जून २०१४

प्रति,

१. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र कृषि उद्योग विकास महामंडळ, कृषि भवन, दिनकरराव देसाई मार्ग, आरे मिल्क कॉलनी, गोरेगांव, मुंबई
२. कृषि संचालक (विस्तार व प्रीक्षण) / (फलोत्पादन,) कृषि आयुक्तालय, पुणे-५
३. विभागीय कृषि सह संचालक, (सर्व)
४. जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी (सर्व)
२/- त्यांनी या परिपत्रकाच्या प्रती अधिनस्त सर्व उपविभागीय कृषि अधिकारी/ तालुका कृषि अधिकारी यांना त्यांच्या स्तरावरून द्याव्यात.
५. कृषि विकास अधिकारी (सर्व)
६. मुख्य गुणवत्ता नियंत्रण अधिकारी, कृषि आयुक्तालय, म. रा. पुणे
७. कृषि उपसंचालक (मृसमृचा), कृषि आयुक्तालय, म. रा. पुणे.

प्रत - मा. प्रधान सचिव, (कृषि) कृषि व पदुम विभाग, मुंबई यांना माहितीसाठी सविनय सादर.